संख्या-36/2018/1612/60-3-2018-104(सा)/17

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

विहित प्राधिकारी,
उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष,
लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 दिनांक : लखनऊ : 07 सितम्बर, 2018

विषय-वृन्दावन, मथुरा के सदनों की निराश्रित महिलाओं के आर्थिक उन्नयन हेतु पुष्प अवशिष्ट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या-529/एम0के0एन0, दिनांक 06.09.2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वृन्दावन, मथुरा के सदनों की निराश्रित महिलाओं के आर्थिक उन्नयन के लिये पुष्प अवशिष्ट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रू0-10,65,500/- की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। शासनादेश संख्या-7015/60-03-2017, दिनांक 17.01.2018 द्वारा प्रश्नगत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रू0-01,67,79,740/- की धनराशि निगम को महिला एवं बाल सम्मान कोष से उपलब्ध करायी गयी है। योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल बजट धनराशि रू0-01,67,79,740/- में टेक्नो-फाइनेन्शियल मद में रू0-68,20,128/- तथा मैनेजेरियल मद में रू0-99,59,612/- की धनराशि सम्मिलित है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पुष्प अवशिष्ट परियोजना के सम्यक क्रियान्वयन हेतु रू0-10,65,500/- (रूपये दस लाख पैंसठ हजार पॉच सौ मात्र) की अतिरिक्त धनराशि उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के महिला सशक्तीकरण एवं कौशल विकास के ''एनोवेटिव इनीशिएटिव'' मद से उ0प्र0 महिला कल्याण निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उ0प्र0 महिला कल्याण निगम द्वारा यह धनराशि योजना के क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित संस्था एफ0एफ0डी0सी0 (सुगन्ध एवं सरस विकास केन्द्र) कन्नौज को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- चूँकि यह परियोजना मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-659/2007 के तहत मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में तैयार की गयी है। अतः यह धनराशि शीघ्र अवमुक्त कर दी जाय ताकि परियोजना के संचालन में कठिनाई न हो।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1612 (1)/60-03-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लखनऊ।

3- जिलाधिकारी, मथुरा।

4- निदेशक, सुगन्ध एवं सरस विकास केन्द्र (एफ0एफ0डी0सी0), कन्नौज।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वरिष्ठ वित्त सलाहकार, उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, लखनऊ।

7- जिला प्रोबेशन अधिकारी/सचिव, ब्रजगंधा प्रसार समिति, मथुरा।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।